iepf
Investor Education and Protection Fund

निवेशक ध्यान दें!

निवेशक/जमाकर्ता जिनके शेयर, अप्रदत्त लाभांश, परिपक्व जमाराशि या डिबेंचर आदि कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किए गए हैं, अपनी राशि निम्नलिखित आसान कदम उठाकर वापस लेने का दावा कर सकते हैं।

1. दावेदार वेबसाइट **www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध ई–फॉर्म आईईपीएफ–5 फाइल करें।
2. भरे गए ई–फॉर्म का एक प्रिंट लें और संबंधित कंपनी को एक प्रतिलिपि तथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
3. कंपनी का नोडल अधिकारी दावे की जांच करेगा और 15 दिन के अंदर आईईपीएफ प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट भेजेगा।
4. जांच रिपोर्ट के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदार के खाते में इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से धनराशि अथवा शेयर भेज दिये जायेंगे।

आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण होने से बचने के लिए अपने लाभांश का नियमित आधार पर दावा करें क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि लगातार 7 वर्षों से लाभांश का दावा न करने पर संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण

हमसे संपर्क करें
iepf@mca.gov.in

davp 07110/13/0007/1718